ग्राम पंचायत गरला, विकास खण्ड सुलह (स्थित भेडू महादेव), जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग—एक

1 **(क) प्रस्तावनाः—**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत गरला, विकास खण्ड सुलह (भेडू महोदव), जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः—

प्रधानः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री सुरेश कुमार	1.4.14 से 22.1.16
2	श्रीमती निशा देवी	23.1.16 से 31.3.17

सचिवः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री मंदीप डढवाल	1.4.14 से 15.8.14
2	श्री पवन कुमार	16.8.14 से 25.8.16
3	श्री रणवीर सिंह	26.8.16 से 31.3.17

(ख) गम्भीर अनियमिततओं का सारः—

ग्राम पंचायत गरला के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखो में)
1	5	रोकड़ बही व बैंक खातों में अन्तर पाया गया	0.63

2	7	अनुदान राशियों को रोकड़ बही में दर्ज न करना	5.29
3	10	अनुदान राशि का उपयोग न करना	20.53
4	11	प्राक्कलन तैयार किये बिना निर्माण कार्यों पर व्यय करना	27.63
5	12	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	4.91
6	13	मजदूरों को मस्ट्रोलों के माध्यम से किये गये भुगतान हेतु कार्य प्रगति माप पुस्तिकाओं में दर्ज न करना	20.38

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत गरला, विकास खण्ड सुलह (भेडू महादेव) जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी एवं श्री ध्रुव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षा द्वारा दिनांक 18.8.2017 से 22.8.2017 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय की जाँच के लिए चयनित माह	व्यय की जाँच के लिए चयनित माह
2014–15	3/2015	11/2014
2015–16	3/2016	10/2015
2016–17	2/2017	2/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख पर आधारित है। अंकेक्षण को प्रदत्त किसी गलत एवं अपूर्ण सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत गरला, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क

की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को भेजने का अनुरोध सचिव, ग्राम पंचायत गरता से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 004 दिनांक 22.8.2017 द्वारा किया गया था तदानुसार सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा सुलह के ड्राफ्ट संख्या 017337 दिनांक 28.8.2017 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेज दिया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत गरला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(क) स्वः स्त्रोत एवं विभिन्न अनुदानः–

ग्राम पंचायत गरला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 स्वः स्त्रोतों एवं अनुदानों (विविध) की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

		प्राप्ति			व्यय		अन्तिम शेष
वर्ष	अथशेष	स्वःस्त्रोत	अनुदान	योग	स्वःस्त्रोत	अनुदान	
2014–15	159000	51897	1244092	1454989	30352	847853	576784
2015–16	576784	63834	1983391.50	2624009.50	64547	1254977	1304485.50
2016–17	1304485.50	100008	1926910	3331403.50	57585	874392	2399426.50
		दिनांक 31.3.2017 को अन्तशेष					
		रोकड़ बही					₹2399426.50
		बैंक					₹2461663.78 (संलग्न विवरणानुसार)
		हस्तगत राशि					**₹773**
		अन्तर की राशि					**₹63010.28**

ग्राम पंचायत गरला
विकास खण्ड सुलह (भेडू महादेव)
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

क्र0 सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	दिनांक 1.4.14 को अथशेष	दिनांक 31.3.17 को अन्तशेष
1	कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सुलह	201242690	93414	484568.50
2	कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सुलह	50055905719	2760	1846990
3	कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सुलह	50055905800	3284	3774

4	हिमाचल ग्रामीण बैंक सुलह	87840100069529	—	48107
5	हिमाचल ग्रामीण बैंक सुलह	87840100069535	—	1210.28
6	हिमाचल ग्रामीण बैंक सुलह	87840100069775	—	75000
7	हिमाचल ग्रामीण बैंक सुलह	87840100025850	59318	2012
	कुल योग		**158776**	**2461663.78**

(ख) मनरेगाः—

ग्राम पंचायत गरला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक मनरेगा की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2014—15	0	2172471	2172471	2172471	0
2015—16	0	3243448	3243448	3243448	0
2016—17	0	1820693	1820693	1820693	0

दिनांक 31.3.2017 को अन्तशेष

रोकड़ बही 0

बैंक 0

हिमाचल ग्रामीण बैंक खाता संख्या 87840100048471

नोटः— दिनांक 16.2.2015 को बैंक खाता बन्द कर दिया गया

(ग) आई0डब्लयू0एम0पी0 (IWMP)

ग्राम पंचायत गरला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक आई0डब्लयू0एम0पी0 (IWMP) की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से हैः—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2014—15	73000	136105	209105	203696	5409
2015—16	5409	269	5678	0	5678
2016—17	5678	38917	44595	32947	11648

दिनांक 31.3.2017 को अन्तशेष

रोकड़ बही 11648

बैंक 11648

हिमाचल ग्रामीण बैंक सुलह 1.4.2014 31.3.2017

खाता संख्या 87840100069517	–	10104
खाता संख्या 87840100068545	73000	1544
	73000	11648

नोटः– ग्राम पंचायत की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट 1 से 3** में दिया गया है।

5 रोकड़ बही व बैंक खातों में ₹0.63 लाख का अन्तर पाया जानाः–

ग्राम पंचायत गरला के स्वः स्त्रोतों एवं अनुदानों से सम्बन्धित रोकड़ बही के अवलोकन पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही और बैंक खातों में ₹63010.28 का अन्तर पाया गया जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था।

अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बही से बैंक खातों का मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6 रोकड़ बहियों का रख–रखाव नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अवलोकन पर पाया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का उचित रख–रखाव नहीं किया जा रहा है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में न तो अथशेष व अन्तिम शेष से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ दर्ज की जा रही है और न ही पंचायत की आय प्राप्त अनुदानों से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ रोकड़ बहियों में दर्ज की जा रही है। पंचायत द्वारा केवल मात्र प्राप्त आय व्यय को ही रोकड़ बही में दर्ज कर उसका शेष शून्य दिखाया जा रहा है जो न केवल अनियमित व आपत्तिजनक है अपितु लेखांकन के सिद्धान्तों के विरूद्ध भी है, क्योंकि नियमानुसार रोकड़ बहियों के अथशेष में प्राप्त आय को जमा करने के उपरान्त एवं व्यय की प्रविष्टियों को उससे कम किया जाता है तथा प्राप्त अन्तिम शेष की प्रविष्टियों को आगामी कार्य दिवस/पृष्ठ में अथशेष के रूप में दर्शाया जाता है। क्योंकि पंचायत द्वारा रोकड़ बही के लेखांकन में नियमानुसार अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की पूर्ण अवहेलना की जा रही है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए रोकड़ बहियों का रख रखाव

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 एवं 10 बचा अन्य सम्बन्धित नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में अथशेष व अन्तिम शेष न दर्शाए जाने से पंचायत की वित्तीय स्थिति (अंकेक्षण अवधि) दर्शाने या बनाने हेतु 01.04.2014 से सम्बन्धित रोकड़ बही के बचत खातों में जमा शेष राशि को वित्तीय वर्ष 2014–2015 का अथशेष के रूप में में दिखाया गया है।

अतः पंचायत को अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बहियों को नियमानुसार लिखा जाना सुनिश्चित करते हुए भविष्य में नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

7 अनुदान ₹5.29 लाख को रोकड़ बहियों में दर्ज न करने के सन्दर्भ में:–

ग्राम पंचायत गरला द्वारा विभिन्न बचत खातों में प्राप्त अनुदान राशियों की जमा/प्रविष्टि की जाँच सम्बन्धित रोकड़ बहियों से करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में निम्नविवरणानुसार ₹529227 की प्राप्त अनुदान राशियों/अन्य प्राप्तियों को सम्बन्धित रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया था:–

क्र0सं0	बैंक का विवरण	खाता सं0	बैंक/खाते में जमा राशि की तिथि	जमा राशि (₹)
1	कांगड़ा सहकारी बैंक शाखा सुलह	2012400269	5.4.2014	60000
2	–यथोपरि–	–यथोपरि–	11.4.2014	59965
3	–यथोपरि–	–यथोपरि–	2.4.2015	7065
4	–यथोपरि–	–यथोपरि–	2.4.2015	40200
5	–यथोपरि–	–यथोपरि–	11.8.2016	39933
6	–यथोपरि–	–यथोपरि–	30.3.2017	100000
7	–यथोपरि–	50055905719	31.10.2015	14382
8	हिमाचल ग्रामीण बैंक शाखा सुलह	87840100069526	31.1.2015	32796
9	–यथोपरि–	–यथोपरि–	31.10.2015	24886

10	–यथोपरि–	87840100069508	18.11.2014	75000
11	–यथोपरि–	87840100069775	22.3.2017	75000
			योग	**529227**

ग्राम पंचायत द्वारा बचत खातों में प्राप्त अनुदान राशियों/अन्य प्राप्तियों को रोकड़बही में दर्ज न करने के कारण ग्राम पंचायत की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं होती है एवं प्राप्त अनुदान अन्य राशियों को रोकड़ बही में दर्ज न करना पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी की लापरवाही को भी परिलक्षित करता है, जिस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये अविलम्ब इन राशियों को रोकड़ बही में दर्ज किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

8 बजट प्राक्कलन तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा के पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन निर्धारित प्रपत्र पर तैयार नहीं किया गया है। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत राजस्व ₹0.05 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार दिनांक 31.3.2017 तक पंचायत के राजस्व ₹4935 की वसूली शेष थीः–

गृहकरः–

वर्ष	अथशेष	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014–15	–	27870	27870	26215	1655
2015–16	1655	27870	29525	25405	4120
2016–17	4120	28320	32440	27505	4935

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली शीघ्र करना सुनिश्चित की जाए।

10 अनुदान ₹20.53 लाख का उपयोग न करनाः—

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **"परिशिष्ट—4"** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान ₹2053209 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पचांयत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर के उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण सम्बन्धित संस्थाओं को किया जाये।

11 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹27.63 लाख का अनियमित व्यय करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "5"** में दिये गये विवरणानुसार निर्माण कार्यों में ₹2762846 का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किया बिना ही किया गया जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित और आपत्तिजनक है। अतः निर्माण कार्यों में किए जाने वाले व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोतों से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

12 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹4.91 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट—6** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹490907 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इन अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 पंचायत द्वारा मजदूरों के मस्ट्रोलों के माध्यम से किए गए ₹20.38 लाख के भुगतान से सम्बन्धित कार्य प्रगति को माप पुस्तिकाओं में दर्ज न करने के सन्दर्भ में:—

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में ₹2038260 का भुगतान **परिशिष्ट—7** के अनुसार ग्राम पंचायत के विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु मजदूरों को मजदूरी के रूप में मस्ट्रोलों के माध्यम से किया गया है। जाँच में पाया गया कि उक्त मस्ट्रोलों में मजदूरों द्वारा किए गए कार्य प्रगति के विवरण से सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं का उल्लेख इन मस्ट्रोलों में दिया गया है किन्तु माप पुस्तिकाओं की जाँच में पाया गया कि संलग्न परिशिष्ट में दी गई माप पुस्तिकाओं व सम्बन्धित पृष्ठों में मजदूरों द्वारा किए गए कार्य विवरण/कार्य प्रगति का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है एवं माप पुस्तिकाओं में केवल मात्र कार्य कार्य का नाम, मस्ट्रोल, क्रमांक मस्ट्रोल की अवधि तथा मस्ट्रोल की राशि दर्शाई गई है।

ग्राम पंचायत द्वारा मस्ट्रोलों से किए गए मजदूरी के भुगतान से सम्बन्धित कार्य की कार्य प्रगति की माप पुस्तिकाओं में दर्ज न करने के कारण किए गए मजदूरी के भुगतान को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। क्योंकि कार्य प्रगति के अभाव में मजदूरों को मजदूरी के रूप में अधिक भुगतान की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस बात की जाँच भी वर्तमान अंकेक्षण में नहीं की जा सकती कि दर्शाए गए कार्य वास्तव में किए गए अथवा नहीं?

अतः इस सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर पूर्ण जाँच करने उपरान्त वस्तुस्थिति से इस कार्य की कार्य प्रगति को माप पुस्तिकाओं में दर्ज न करने के बारे में भी स्थिति स्पष्ट की जाए एवं यदि यह कार्य वास्तव में किए गए है तो इन कार्यों की कार्य प्रगति को माप पुस्तिकाओं में दर्ज करने के उपरान्त जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ताकि उनकी तदानुसार जाँच सुनिश्चित की जाए अन्यथा उक्त वर्णित समस्त भुगतान/व्यय की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी से करने उपरान्त पंचायत निधि में जमा करवाई जाए तदानुसार अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

14 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व अन्य विभिन्न नियमों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	विनिधानों के लिए रजिस्टर	1	12 (1) 27 (1)
2	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	4	13 (5)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77 (4)
5	बजट प्राक्कलन रजिस्टर	11 व 12	37, 38
6	अनुपभोज्य वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	25	72 (1)
7	लेखन सामग्री से भिन्न उपभोज्य वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	26	72 (1) ख
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1) (ग)
9	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आंकलन का रजिस्टर	31	96 (1)

15 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत के द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

17 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता के अतिरिक्त रोकड़बहियों के लेखांकन एवं उनके रख रखाव की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 151/2017–खण्ड–1–1183–1186 दिनाँक 17.02.2018 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुलह जिला काँगड़ा, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत गरला, विकास खण्ड सुलह, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881